ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

अ०सं० :–3/अ०प्र०–1–21/16 707 /पटना, दिनांक :– 7-6-21

श्री रामू प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2 के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2 पदस्थापन के दौरान 09 पथों का निर्माण कार्य विशिष्टियों के अनुरूप निरीक्षण की तिथि तक पूर्ण नहीं कराने संबंधी आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर अधिसूचना संख्या–3650–सह–पठित ज्ञापांक 3651 दिनांक 19.12.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 5780 अनु0 दिनांक 04.12.2018 द्वारा श्री रामू प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री रामू प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–1, 2, 5, 6 एवं 8 को प्रमाणित एवं आरोप संख्या– 3, 4, 7, 9 एवं 10 को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए सहमति संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 927 अनु0 दिनांक 04.04.2019 द्वारा श्री रामू प्रसाद, सहायक अभियंता से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

4. विभागीय निदेश के आलोक में श्री रामू प्रसाद दिनांक 20.04.2020 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा अवर प्रमंडल का प्रभार–ग्रहण दिनांक 17.07.2015 को किया गया था, जिस समय अधिकांश कार्य चालू अवस्था में थे, जिसका अंतिम रूप से निष्पादन नहीं हुआ था। साथ हीं 05 पथों के निर्माण कार्यों को जाँच के पश्चात् संवेदक द्वारा संपादित करा लिया गया, जिसे SQM, MQMU एवं PQM द्वारा किये गये निरीक्षण में Satisfactory Grade प्राप्त हुआ।

5. श्री रामू प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं श्री रामू प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की समग्र समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि 05 पथों के निर्माण कार्यों को जाँच के पश्चात् संवेदक द्वारा संपादित करा लिया गया, परन्तु पथों के निरीक्षण के क्रम में अर्पूण पाये गये थे।

6. उक्त आलोक में श्री रामू प्रसाद से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री रामू प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2, सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(i) के तहत निंदन की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

अतएव श्री रामू प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2, सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(i) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है –

(i) **निंदन (आरोप वर्ष–2014–2015, 2015–2016)**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–21/16 708 /पटना, दिनांक :– 7-6-21

प्रतिलिपि :–ई कोषांग, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त हार्ड कॉपी के साथ गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–21/16 708 पटना/दिनांक :– 7-6-21

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा एवं किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2 एवं किशनगंज–2/प्रशाखा पदाधिकारी–5 एवं 6/श्री रामू प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2, सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल किशनगंज–2 को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–21/16 708 पटना/दिनांक :– 7-6-21

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

5.6.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–21/16 708 पटना/दिनांक :– 7-6-21

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5.6.21

उप सचिव